



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022021-225040
CG-DL-E-10022021-225040

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 534]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 9, 2021/माघ 20, 1942

No. 534]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 9, 2021/MAGHA 20, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2021

का.आ. 586(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में टूण्डला टर्मिनल से कानपुर टर्मिनल तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपावद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन्स प्रभाग, निर्माण कार्यालय, उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइन्स, टूण्डला - गौरिया पाइपलाइन परियोजना, ई-160, प्रथम व द्वितीय तल, कमला नगर, आगरा (यू.पी.) - 282004 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील: करहल

जिला: मैनपुरी

राज्य – उत्तर प्रदेश

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	दिहुली	386	00	14	64
		387	00	02	67
		418	00	01	54
		426	00	20	27
		427	00	05	46
		480	00	00	53
		475	00	01	47
		474	00	16	61
		476	00	00	20
		473	00	01	37
		472	00	10	65
		1317/476	00	00	56
		543	00	09	77
		544	00	00	77
		545	00	15	70
		546	00	00	10
		1194	00	00	02
		1195	00	00	35
		1196	00	05	83
		1197	00	16	85
		1198	00	22	76
		1199	00	00	10
		1200	00	01	00
		1208	00	01	61
		1259	00	01	09
		1258	00	10	61
		1256	00	11	10
		1257	00	00	10
		1263	00	00	49
		1266	00	05	94

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	दिहुली	1267	00	07	19
		1269	00	06	50
		1277	00	00	80
		1278	00	01	25
		1140	00	00	57
		1097	00	08	63
		1100	00	02	59
		1099	00	02	64
		1101	00	00	10
		1103	00	12	27
		1102	00	00	10
		1104	00	00	63
		1106	00	10	03
		1135	00	05	38
		1107	00	06	06
		1134	00	00	38
		1133	00	07	03
		1132	00	00	45
		1128	00	12	36
		1127	00	26	91
		1115	00	00	30
		1116	00	00	10
		1126	00	00	64
		1118	00	00	44
		1117	00	13	31

[फा. सं. आर.-11025(11)/20/2018-ओआर-I/ई-27595]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th February, 2021

S.O. 586(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Tundla Terminal to Kanpur Terminal should be laid by Indian Oil Corporation Limited. And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the General Public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited (Pipelines Division), Construction Office, Northern Region Pipelines, Tundla-Gawria Pipeline Project, E-160, 1st & 2nd floor, Kamlanagar, Agra(U.P.) – 282 004.

SCHEDULE

Tehsil:- Karhal

District:- Mainpuri

State :- Uttar Pradesh

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	Dehuli	386	00	14	64
		387	00	02	67
		418	00	01	54
		426	00	20	27
		427	00	05	46
		480	00	00	53
		475	00	01	47
		474	00	16	61
		476	00	00	20
		473	00	01	37
		472	00	10	65
		1317/476	00	00	56
		543	00	09	77
		544	00	00	77
		545	00	15	70
		546	00	00	10
		1194	00	00	02
		1195	00	00	35
		1196	00	05	83
		1197	00	16	85
		1198	00	22	76
		1199	00	00	10
		1200	00	01	00
		1208	00	01	61
		1259	00	01	09
		1258	00	10	61
		1256	00	11	10
		1257	00	00	10
		1263	00	00	49
		1266	00	05	94

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
	Dehuli	1267	00	07	19
		1269	00	06	50
		1277	00	00	80
		1278	00	01	25
		1140	00	00	57
		1097	00	08	63
		1100	00	02	59
		1099	00	02	64
		1101	00	00	10
		1103	00	12	27
		1102	00	00	10
		1104	00	00	63
		1106	00	10	03
		1135	00	05	38
		1107	00	06	06
		1134	00	00	38
		1133	00	07	03
		1132	00	00	45
		1128	00	12	36
		1127	00	26	91
		1115	00	00	30
		1116	00	00	10
		1126	00	00	64
		1118	00	00	44
		1117	00	13	31

[F. No. R-11025(11)/20/2018-OR-I/E-27595]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.